

सामुदायिक आधार पर स्थानीय आदिवासी लोगों और निर्धन ग्रामीणों को शामिल किया जायेगा :—

1. अवक्रमित वन भूमि पर वन अध्यायित वायोमाम संसाधन से सुधार करना और अग्निधारित समुदायों को घरेलू आवश्यकताओं के लिए इसका निरन्तर प्रबंध करना ।

2. आदिवासी समुदायों और निर्धन ग्रामीणों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना ।

3. उनके आस-पास रहने वाले आदिवासियों और अन्य निर्धन ग्रामीणों को स्थाई आर्थिक आधार मुहैया कराना ।

(ख) और (ग) इन निवासियों को इस प्रयोजन के लिए कोई वन भूमि पट्ट पर देने का प्रस्ताव नहीं है लेकिन उदाहरण में भोगाधिकार थे हिस्सेदारी देकर इन समुदायों को आसान किया जायेगा ।

Misuse of Funds meant for Adult Education in Madhya Pradesh

3106. SHRI AJIT P. K. JOGI,

SHRI CHHOTUBHAI PATEL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some cases of misuse of funds allocated to Madhya Pradesh for adult education and other irregularities have been brought to the notice of Government; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMAN-BHAI MEHTA): (a) and (b) There is no information about the misuse of funds in the adult education programme in Madhya Pradesh excepting that a complaint was received against one voluntary agency. The State Government has been requested to get the matter investigated and submit a report to this Ministry.

मध्य प्रदेश में प्रदूषण फैलाव वाले विद्युत संयंत्र

3107. श्री अजीत जोशी :

श्री छोटू भाई पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बनाने की उपाय करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वे कौन-कौन से विद्युत संयंत्र हैं जिनमें वायु और जल का प्रदूषण रोकने के उचित प्रबंध नहीं हैं ; और

(ख) ऐसे संयंत्रों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराव) : (क) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों के पास वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । मध्य प्रदेश राज्य विजली बोर्ड (पूर्वी) कोरवा, अमरकट ताप विद्युत संयंत्र, चवई, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी तथा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी का विद्युत संयंत्र, कोरवा ।

(ख) इन सभी इकाइयों को प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं । वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया है तथा मध्य प्रदेश राज्य विजली बोर्ड (पूर्वी) कोरवा संयंत्र को दिसम्बर 1990 से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं । भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को निरुत्तरण स्तर को कम करने के लिए लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं । जारी किए गए निर्देशों के परिणामस्वरूप चवई-स्थित अमरकटक इकाई ने नए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स लगाने के लिए उपाय किए हैं । जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए फ्लाई-एश डम की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सतपुड़ा इकाई को निर्देश जारी किए गए हैं ।